

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-8/म०द०वि०यो० 35-02/2014-..... (8)/रा०, पटना-15, दि०- / /2015.

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय – बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल उपबधित राशि 2625.10 लाख रुपये में से स्वीकृत्यादेश सं०-519(8) दिनांक-30.04.2015 के द्वारा स्वीकृत राशि 53615000 रु० के उपरान्त शेष बची राशि 20,88,95,000 में से कुल 4,62,57,000 रु० (चार करोड़ बासठ लाख संतावन हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश – जिलों से प्राप्त लक्ष्य के अधियाचना के आलोक में वासरहित महादलित परिवारों को 05 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने हेतु कॉलम-5 में उल्लिखित राशि कुल 4,62,57,000 रु० (चार करोड़ बासठ लाख संतावन हजार) रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

| क्र०         | जिला का नाम | अधियाचित राशि | अधियाचना सं०                 | स्वीकृत राशि (रुपये लाख में) |
|--------------|-------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 1            | 2           | 3             | 4                            | 5                            |
| 1            | मुजफ्फरपुर  | 7140000       | पत्रांक-1439 दिनांक-11.05.15 | 7140000                      |
| 2            | छपरा        | 5240000       | पत्रांक-46 दिनांक-29.04.15   | 5240000                      |
| 3            | अररिया      | 33877750      | पत्रांक-867 दिनांक-14.05.15  | 33877000                     |
| <b>कुल:-</b> |             |               |                              | <b>4,62,57,000</b>           |

(चार करोड़ बासठ लाख संतावन हजार) मात्र।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु 2625.10 लाख रुपये (छबीस करोड़ पचीस लाख दस हजार रुपया) का बजट उपबन्ध प्राप्त है।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि का व्यय बजट शीर्ष-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)-5302-भूमि अर्जन हेतु-मांग संख्या-40-विपत्र कोड-पी०-4047007890101-स्कीम कोड-REV-5528 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए M.V.R. के आधार पर प्रति पाँच डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि का क्रय किया जाएगा।

6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि०) दिनांक-17.04.1998 तथा पत्रांक-6720(वि०) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
8. प्रस्ताव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।
9. राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-8/म0द0वि0यो0 35-02/2014-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0- / /2015.

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-8/म0द0वि0यो0 35-02/2014-797 . (8)/रा0, पटना-15, दि0- 01/7 /2015.

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त बिहार/सभी सम्बन्धित समाहर्ता, बिहार/सभी सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।  
230-6